

सं० सं०-टी-३(यो०)/भवन-१०/२०१८-.../१४२५/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक २५/०६/२०१८

विषय:-

राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदीवारी, पहुँच पथ, स्थल विकास, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य हेतु कुल राशि १८३२.०० लाख (अठारह करोड़ बत्तीस लाख) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदीवारी, पहुँच पथ, स्थल विकास, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य हेतु कुल राशि १८३२.०० लाख (अठारह करोड़ बत्तीस लाख) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-१७९८ (भ०), दिनांक-२६/०२/२०१८ द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है-


क्र०सं०	संस्थान का नाम एवं पता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
१	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) स्थायी पता:- अंचल-बनमनखी, मौजा-बनमनखी, थाना नं०-६३, खाता सं०-२८०, खेसरा सं०-२०७०, २०७४, ३२४६, २०७७, रकवा-३.५६ एकड़।	१. BUILDINGS	११,०९,५४,२११.००
		(A) Institutional Building & workshop	
		(B) Staff Hostel	२,०९,४६,२०७.००
		(C) Canteen Block	९६,४२,४८८.००
		(D) Principal Residence	२७,३९,५९८.००
		(E) Vice-Principal Residence	१९,१२,९६२.००
		SUM	१४,६१,९५,४६६.००
	२. Boundary Wall, Approach Road & Campus Development with Rain Water Harvesting @ १५% of SUM	२,१९,२९,३२०.००	
		१६,८१,२४,७८६.००	
		३. Furniture/ Furnishing @१०% of A, B & C	१,४१,५४,२९१.००
		Sub Total	१८,२२,७९,०७७.००
	४. Contingency	@१.०% upto Rs.१००Lac	१,००,०००.००
		@०.५% above Rs.१००Lac	८,६१,३९५.००
		Total	१८,३२,४०,४७२.००
		OR Say Rs.	१८३२.०० Lacs

२- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष ४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष ६०-अन्य भवन, लघु शीर्ष ०५१-निर्माण, उप शीर्ष-०११२-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-०३-४०५९६००५१०११२, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -०११२.५३.०१ मुख्य निर्माण कार्य से १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़), मुख्य शीर्ष ४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष ६०-अन्य भवन, लघु शीर्ष ७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-०१०६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-०३-४०५९६०७८९०१०६, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -०१०६.५३.०१ मुख्य निर्माण कार्य से ३००.०० लाख (तीन करोड़) तथा शेष राशि ३२.०० लाख (बत्तीस लाख) मुख्य शीर्ष ४०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष ६०-अन्य भवन, लघु शीर्ष ७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-०१०३ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-०३-४०५९६०७९६०१०३, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -०१०३.५३.०१ मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में उपबंधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ वि० (२) दिनांक- १७-०४-१९९८ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


क०प०उ०

- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णियाँ से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3 (यो०)/भवन-10/2018 के पृष्ठ -1.8. /टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन


22/6/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-10/2018 - 1425 /प ट ना, दिनांक- 25 / 6 / 2018
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/6/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-10/2018 - 1425 /प ट ना, दिनांक- 25 / 6 / 2018
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी, पूर्णियाँ (नक्शा एवं प्राक्कलन की प्रति संलग्न)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/ योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22/6/18
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग